

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....दावे..... बनाम राजो दा.....

प्रकरण सं. 1/131/2023 तारीख रजू. 12.09.2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
11.3.23	<p>पत्रावली उम्मुद हुद/ पत्रावली शिवाजी के नामों में ही वकीलानों को कानून अर्थात् 2012 के उपाय किए गए हैं कि पत्रावली नामों में उम्मुद नामों उम्मुद नहीं किए गए हैं। पत्रावली को आदेशों से स्पष्ट है कि आदेश 20.10.23 को पुनः लम्बाई हेतु किया गया था। शब्द उपाय वकीलानों के निर्देशों को पत्रावली उम्मुद अर्थात् के कानून अर्थात् के रूप में ही व्यापक में कानून उपाय को किए गए हैं परन्तु आदेशों व लम्बाई उम्मुद नहीं किए गए हैं।</p> <p>निम्न उक्ति सही है कि आदेश 9 नियम 5 के कानून में वादों को खोला जाया उचित नहीं होता है। अतः पत्रावली कि. य. क. के आदेश 9 नियम 5 के कानून में खोला जाना है। पत्रावली वाद लम्बाई व दावे लम्बाई।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राजो